पत्र सूचना शाखा

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0

राज्यपाल ने अनुपूरक एवं लेखानुदान विधेयकों पर अनुमोदन प्रदान किया

लखनऊः 28 दिसम्बर, 2016

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक ने राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों से पारित 'उत्तर प्रदेश विनियोग (2016-17 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2016' तथा 'उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) 2016' पर अपना अनुमोदन प्रदान कर दिया है। विधेयकों के अनुमोदन हेतु पत्रावली राजभवन में 23 दिसम्बर, 2016 को प्राप्त हुई थी।

'उत्तर प्रदेश विनियोग (2016-17 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2016' द्वारा 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिए राज्य की समेकित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देने की व्यवस्था की गयी है।

'उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) 2016' विधेयक द्वारा आगामी 1 अप्रैल, 2017 से प्रारम्भ होने वाले वर्ष के एक भाग के व्यय के लिये राज्य सरकार की समेकित निधि में से कतिपय धनराशियों के निकालने की व्यवस्था की गयी है।

अंजुम/ललित/राजभवन (495/61)